

पत्र संख्या- REIC / आई0एम0सी0 / मु0 / 2023-24 /

67

/ वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,

(इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल)


लखनऊ::दिनांक:: 06 जुलाई :: 2023

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 / ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र संख्या-235 दिनांक 07.09.2021 एवं 146 दिनांक 06.09.2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जो समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को सम्बोधित हैं। उक्त पत्रों द्वारा आयुक्त राज्य कर के निर्देश के क्रम में प्रत्येक जोन से करापवंचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामला अग्रेतर जांच हेतु अन्य Law Enforcement Agencies (LEAs) को REIC के माध्यम से सन्दर्भित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वर्ष 2022-23 में विभिन्न जोन से प्राप्त कुल 64 मामलों को प्रदेश में कार्यरत तीनों REIC (REIC लखनऊ को 37 मामले, REIC इलाहाबाद को 03 मामले तथा REIC मेरठ को 24 मामले) को सन्दर्भित किया जा चुका है।

अतः वर्ष 2023-24 में भी प्रत्येक जोन से सम्बन्धित जिन महत्वपूर्ण मामलों को REIC से साझा किया जाना हो, ऐसे मामलों को REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-1 में भरकर सम्बन्धित REIC के नामित अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित REIC (मेरठ, इलाहाबाद जोन) को प्रेषित करने के साथ-साथ प्रतिलिपि मुख्यालय को एवं REIC लखनऊ जोन से सम्बन्धित मामलों मुख्यालय के आई0एम0सी0 अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि CEIB, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र से REIC में साझा किये जाने हेतु प्रकरणों में करापवंचन की सीमा निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार इस विभाग के उन्हीं प्रकरणों को REIC से साझा किया जाना अपेक्षित है, जिनमें अपवंचित कर की धनराशि रु0 01 करोड़ (नॉन मेट्रो स्टेशन) व रु0 03 करोड़ (मेट्रो स्टेशन-नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद) है, जिसके सम्बन्ध में REIC लखनऊ परिक्षेत्र के नोडल अधिकारी द्वारा समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को अपने-अपने जोन से सम्बन्धित प्रकरणवार सूचना REIC को सन्दर्भित करने हेतु **पत्र संख्या-3126 दिनांक 08.03.2022** जारी किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु REIC द्वारा निर्धारित प्रारूप REIC Form-1 इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।



FORMATS FOR REPORTING BY REIC MEMBERS

REIC FORM-I

(To be submitted by the members of REICs to the Convener before each REIC meeting)

REPORTING AGENCY:

PERIOD TO WHICH INFORMATION PERTAINS:

A. Cases sponsored by the member agencies for information in the REIC

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN/ROC etc:
6.	Duty/tax/Actual amount involved and the FY *
7.	Information in brief (including modus operandi/type of offence detected, etc)
8.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
9.	Remarks

B. Cases having interdepartmental ramifications sponsored by the member agencies for further action in the REIC:

1.	Date of detection/Search/Seizure etc
2.	Name of the Company/Individual/Unit/Assessee
3.	Name of the Director/Owner/key managerial persons
4.	Address(es)
5.	Registration No./PAN/TAN/DIN etc:
6.	Summary of case detected (including modus operandi/type of offence suspected/detected etc)
7.	Duty/tax/amount involved and the FY *
8.	Whether information was made available earlier (before sponsoring in the REIC) to other agencies. If so, names of agencies, date of sharing.
9.	Other departments/agencies who are to consider the information for further action
10.	Contact information of the designated officer who is to be contacted for further details/information
11.	Remarks

*FY in all Forms refers to April-March of the year when offence is detected